न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः— दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 197 / 2019 **दायर दिनांकः 23 / 12 / 2019**

उनवान

1. मोतीलाल पुत्र रामगोपाल जाति मीणा निवासी ग्राम पाडलिया तहसील अटरू जिला बारां (राज०)

वादी

बनाम

1. मुकेश कुमार पुत्र जगदीश आयु 28 वर्ष जाति मीणा निवासी पाडलिया तहसील अटरू जिला बारां राज0।
2. सत्यनारायण पुत्र भैरूलाल आयु 42 वर्ष जाति मीणा निवासी पाडलिया तहसील अटरू जिला बारां राज.।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 188 आर0टी0एक्ट0

उपस्थिति :—
वादी :—विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर।
प्रतिवादीगणः—विद्वान अभिभाषक श्री यशद्युमन सिंह।

आदेश दिनाकः 24 / 08 / 2022

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादी ने यह दावा अर्न्तगत धारा 188 आर टी एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम पाडलिया तहसील अटरू में वर्तमान खाता क्रमांक 73 पुराना 68 में आराजी ख0नं0 231 रकबा 1.95 है0 स्थित है जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम खातेदारी में दर्ज है। उक्त आराजी इस वाद पत्र की विषयवस्तु है जिसे वाद पत्र में आगे विवादित आराजी के नाम से संबोधित किया गया है। वादी के खेत पर वर्षों पुरानी मेड बनी हुई है जिस पर होकर वादी अपने कृषि यंत्र गाडी बैल आदि लाता ले जाता है जिसकी प्रतिवादी को पूर्ण जानकारी है। यही मेड वादी के खेत पर आने जाने का एक मात्र रास्ता है इसके अलावा उसके खेत पर पहुंचने का अन्य कोई विकल्प नहीं है। प्रतिवादीगण जबरन ताकत के बल पर उक्त मेड को बन्द करने पर आमादा है तथा इस हेतु प्रतिवादीगण ने दिनांक 25.11.2019 को उक्त मेड को हांक कर अपने खेत मिलाने एवं वादी के एकमात्र रास्ते को बन्द करने पर आमादा होने पर वादी द्वारा

प्रतिवादीगण से अनुरोध किया कि यह मेड मेरे खाते के खेत पर आने जाने का एकमात्र रास्ता है जिसे पर वह विगत अपने पूर्वजों के समय से कई वर्षों से लगातार अपने रास्ते के रूप में कृषि उपकरण आदि लाने ले जाने के लिए उपयोग उपभोग में लेता आ रहा है लेकिन प्रतिवादीगण जबरन ताकत के बल पर उक्त मेड को अपने खेत में मिलाने पर आमादा है जिसका उन्हे कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। यदि प्रतिवादीगण अपने अनुचित अनाधिकृत एवं अवैधानिक उद्देश्यों में सफल हो गये तो वादी का वाद करना व्यर्थ हो जावेगा तथा वादी के समक्ष अपने खेत पहुंचने आने जाने, गाडी बैल, ट्रेक्टर कृषि उपकरण आदि ले जाने में काफी असुविधा उत्पन्न हो जावेगी ऐसी स्थिति में वादी प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का वैधानिक अधिकारी एवं नालिशी है एवं इसी निमित्त यह वाद पेश है। वाद कारण दिनांक 25.11.2019 को प्रतिवादी क्रम 1 व 2 द्वारा वादी को उक्त मेड को ध्वस्त कर अपने खेत में मिलाने एवं वादी के एकमात्र रास्ते को बन्द करने पर आमादा होने पर ग्राम पाडलिया तहसील अटरू जिला बारां में उत्पन्न हुआ। वाद का मूल्यांकन वास्ते स्थायी निषेधाज्ञा विवादित आराजी के लगान का 50 गुना कायम किया जाकर उचित न्यायशुल्क पर वाद पेश है। विवादित आराजी ग्राम पाडलिया तहसील अटरू में स्थित है तथा पक्षकारान भी तहसील अटरू में निवास करते है इसलिए माननीय न्यायालय को वाद का श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार प्राप्त है। वाद अवधि मध्य प्रस्तुत है। अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की डिक्री सादर पारित फरमायी जावे–

1. प्रतिवादीगण को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी पर बनी हुई वर्षो पुरानी मेड को ध्वस्त न करें, अपने खेत में न मिलाने तथा वादी को अपने खेत पर आने जाने कृषि उपकरण आदि लाने जाने में किसी प्रकार की बाधा दखलन्दाजी बेजा मदखलात ना तो स्वयं करें न अपने प्रतिनिधियों से करावे। वादी को शांतिपूर्वक काबिज उक्त मेड का उपयोग उपभोग करते रहने दे।
2. वाद व्यय एवं अन्य सहायता जो न्यायोचित हो प्रदान करे।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन की गई। प्रतिवादीगण द्वारा जवाब दावा पेश कर कथन किया गया कि वाद पत्र की मद नं0 1 में आराजी स्थित होना स्वीकार है। वाद पत्र की मद नं0 2 अस्वीकार है। वाद पत्र की मद नं0 3 का विवरण

अस्वीकार है। वाद पत्र की मद नं0 4 का विवरण अस्वीकार है। वाद पत्र की मद नं0 5 का विवरण अस्वीकार है। वाद पत्र की मद नं0 6 कानूनी है। वाद पत्र की मद नं0 7 कानूनी है। वाद पत्र की मद नं0 8 कानूनी है। अनुतोष वादी अस्वीकार है।

विशेष आपत्तियां

प्रतिवादीगण ने वादी की आराजी पर किसी प्रकार का कोई कब्जा नहीं कर रखा है। वादी अपने खाते की आराजी को आराजी को निरन्तर रूप से काश्त कर रहा है। वादी ने ही प्रतिवादीगण की कब्जे काश्त की भूमि में कब्जा कर रखा है। जिसकी न्यायालय पैमाईश करा के भूमि मालिक को कब्जा दिलवाया जावे। यदि प्रतिवादीगण के कब्जे में वादी के खाते की कोई भूमि मिलती है तो उसे छोडने के लिए प्रतिवादीगण तैयार है एवं वादी के कब्जे में यदि प्रतिवादीगण की भूमि मिलती है तो उसे प्रतिवादीगण को दिलवाया जावे। अतः माननीय न्यायालय में प्रतिवादीगण की ओर से जवाब दावा पेश कर निवेदन है कि वादी का वाद खारिज फरमाने की कृपा करे।

3. दावा व जवाब दावा के आधार पर निम्न तनकीयात कायम की गई–

तनकी नं0 1– आया वादी प्रतिवादीगण को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने का अधिकारी है कि वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी पर बनी हुई वर्षों पुरानी मेड ध्वस्त न करें अपने खेत में न मिलाये तथा वादी को अपने खेत पर आने जाने कृषि उपकरण आदि लाने ले जाने में किसी प्रकार की बाधा दखलंदाजी बेजा मदाखलत ना तो स्वयं करें न अपने प्रतिनिधियों से करावे।

वादी

तनकी नं0 2– आया कि वादी को शांतिपूर्वक काबिज उक्त मेड का उपयोग उपभोग करते रहने दे।

वादी

तनकी नं0 3– आया कि प्रतिवादीगण ने वादी की आराजी पर किसी प्रकार का कोई कब्जा नही कर रखा है।

प्रतिवादीगण

तनकी नं0 4– आया कि वादी ने ही प्रतिवादीगण की कब्जे काश्त की भूमि में कब्जा कर रखा है।

प्रतिवादीगण

तनकी नं0 5– आया कि यदि प्रतिवादीगण के कब्जे में वादी के खाते की कोई भूमि मिलती है तो उसे छोडने के लिए प्रतिवादीगण तैयार है।

प्रतिवादीगण

तनकी नं0 6– आया कि वादी एवं प्रतिवादीगण के स्वामित्व की भूमि की पेमाईश करा कर भूमि मालिक को कब्जा दिलवाया जावे।

प्रतिवादीगण

तनकी नं0 7– दादरसी

4. साक्ष्यवादी के तहत pw 1 मोतीलाल पुत्र रामगोपाल जाति मीणा निवासी पाडलिया तहसील अटरू का शपथ पत्र पेश किया तथा शपथ बयान लेखबद्ध किये गये। ग्राम पाडलिया तहसील अटरू में वर्तमान खाता क्रमांक 73 पुराना 68 में आराजी ख0नं0 231 रकबा 1.95 है0 स्थित है जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में मेरे नाम खातेदारी में दर्ज है। उक्त आराजी इस वाद पत्र की विषयवस्तु है जिसे वाद पत्र में आगे विवादित आराजी के नाम से संबोधित किया गया है। मेरे खेत पर वर्षों पुरानी मेड बनी हुई है जिस पर होकर मैं अपने कृषि यंत्र गाडी बैल आदि लाता ले जाता है जिसकी प्रतिवादी को पूर्ण जानकारी है। यही मेड मेरे खेत पर आने जाने का एक मात्र रास्ता है इसके अलावा उसके खेत पर पहुंचने का अन्य कोई विकल्प नहीं है। प्रतिवादीगण जबरन ताकत के बल पर उक्त मेड को बन्द करने पर आमादा है तथा इस हेतु प्रतिवादीगण ने दिनांक 25.11.2019 को उक्त मेड को हांक कर अपने खेत मिलाने एवं वादी के एकमात्र रास्ते को बन्द करने पर आमादा होने पर वादी द्वारा प्रतिवादीगण से अनुरोध किया कि यह मेड मेरे खाते के खेत पर आने जाने का एकमात्र रास्ता है। उक्त मेड को ध्वस्त नहीं करें एवं मुझे अपने खेत पर आने जाने कृषि उपकरण आदि लाने जाने में किसी प्रकार की बाधा दखलन्दाजी बेजा मदखलात ना तो स्वयं करें न अपने प्रतिनिधियों से करावे। मुझे शांतिपूर्वक काबिज उक्त मेड का उपयोग उपभोग करते रहने दे। जिरह वकील श्री यशद्युमन सिंह द्वारा जिरह की गई।

Pw2 राधाकिशन पुत्र रामगोपाल जाति मीणा निवासी पाडलिया का शपथ पत्र पेश किया गया तथा शपथ गवाह बयान दर्ज किया गया। ग्राम पाडलिया तहसील अटरू में वर्तमान खाता क्रमांक 73 पुराना 68 में आराजी ख0नं0 231 रकबा 1.95 है0 आराजी वादी के खाते दर्ज है। वादी के खेत पर वर्षों पुरानी मेड बनी हुई है जिस पर होकर वादी अपने कृषि यंत्र गाडी बेल

आदि लाता ले जाता है जिसको मैंने देखा है। वादी के खेत के पास मेरा खेत स्थित है। यही मेड वादी के खेत पर आने जाने का एक मात्र रास्ता है इसके अलावा मेरे खेत पर पहंचने का अन्य कोई विकल्प नही है। इसलिए वादी को रास्ता दिलाया जाना न्यायोचित है। जिरह वकील श्री यशद्युमन सिंह द्वारा जिरह की गई।

Pw3 रामचरण पुत्र बिशनलाल जाति गुर्जर निवासी पाडलिया का शपथ पत्र पेश किया गया तथा शपथ गवाह बयान दर्ज किया गया। ग्राम पाडलिया तहसील अटरू में वर्तमान खाता क्रमांक 73 पुराना 68 में आराजी ख0नं0 231 रकबा 1.95 है0 आराजी वादी के खाते दर्ज है। वादी के खेत पर वर्षों पुरानी मड बनी हुई हे जिस पर होकर वादी अपने कृषि यंत्र गाडी बेल आदि लाता ले जाता है जिसको मैंकने देखा है। वादी के खते की पास मेरा खेत स्थित है। यही मेड वादी के खेत पर आने जाने का एक मात्र रास्ता है इसके अलावा मेरे खेत पर पहंचने का अन्य कोई विकल्प नहीं है। इसलिए वादी को रास्ता दिलाया जाना न्यायोचित है। जिरह वकील श्री यशद्युमन सिंह द्वारा जिरह की गई।

5. अभिभाषक वादी की बहस सुनी। बहस के प्रकाश में पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का तनकीवार निर्णय निम्नानुसार किया जाता है–

तनकी नं0 1– इस तनकी साबित करने का भार वादी पर था। अभिभाषक वादी द्वारा बहस के दौरान कथन किया कि वादी की कृषि आराजी ख0नं0 231 तक आने जाने हेतु समीपवर्ती ख0नं0 230 एवं ख0नं0 226 के सहारे बनी वर्षों पुरानी मेड का उपयोग किया जाता रहा है। इसके अतिरिक्त और कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। लेकिन प्रतिवादीगण ने इसे हांक कर अपने खेतों में लि लिया है जिससे वादी को अपने खेत पर कृषि उपकरण लाने ले जाने में असुविधा हो रही है। आगे कथन किया कि वादी के पूर्वज भी इसी मेड को रास्ते के रूप में उपयोग करते आये थे लेकिन अब प्रतिवादीगण ने बलपूर्वक उसे बन्द कर दिया है। अतः प्रतिवादीगण को जरिऐ स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वे उक्त मेड रूपी रास्ते के वादी के शांतिपूर्ण उपयोग–उपभोग में बदखलंदाजी नहीं देवे।

अभिभाषक प्रतिवादीगण न्यायालय में उपस्थित हुऐ लेकिन कोई बहस नहीं की। अभिभाषक वादी की बहस के प्रकाश में पेश दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य एवं जवाब दावा का अवलोकन किया गया। ग्राम पाडलिया की जमाबंदी संवत 2072 (प्रदर्श–1), खसरा नक्शा व जमाबन्दी (प्रदर्श–2), (प्रदर्श–3 व प्रदर्श –4) से स्पष्ट है कि वादी की कृषि आराजी ख0नं0 231

तक जाने आने के लिए कोई रिकार्डेउ रास्ता उपलब्ध नहीं हे। वादी द्वारा कोई भी ऐसा दस्तावेजी साक्ष्य भी पेश नहीं किया जो साबित करें कि ख0नं0 231 तक पहुंच हेतु ख0नं0 230 व 226 के किसी किनारे के सहारे कोई मेड रूपी रास्ता बना हुआ है। प्रदर्श 3 के ध्यानपूर्वक अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि कृषि आराजी ख0नं0 230 रकबा 3.90 है0 दोनों प्रतिवादियों में से किसी के भी खाते दर्ज नहीं है। यह तो किन्ही अन्य 5 व्यक्तियों की सहखातेदारी में दर्ज है और इस सहखातेदारों को वादी द्वारा प्रकरण में पक्षकार ही नही बनाया है। यदि ख0नं0 230 की मेड से होकर कोई रास्ता मौके पर बना भी हुआ है तो ख0नं0 230 के सभी सहखातेदारों की आवश्यक पक्षकार बनाया जाना चाहिऐ था। प्रतिवादी क्रम 1 तो ख0नं0 230 व 226 में से किसी रिकार्डेड खातेदार नहीं होने पर भी पक्षकार बनाया है। वादी ने अपने वाद पत्र व बहस में कहीं भी स्पष्टता से यह अंकित नहीं किया कि प्रति0 क्रम 1 ने किसी खसरे पर मेड रूपी रास्ता अवरूद्ध किया है। प्रति0 क्रम 1 जब रिकोर्डेड खातेदार नहीं है तो क्या किसी विवादित हिस्से पर मौके पर कब्जा काश्त है ? इसी प्रकार ख0नं0 226 प्रदर्श–4 के अवलोकन से स्पष्ट है कि यह 7 व्यक्तियों की सहखातेदारी में दर्ज है जबकि पक्षकार केवल एक सहखातेदार प्रति0 क्रम 2 को ही बनाया है। शेष 6 सहखातेदारों के भी हक व अधिकार प्रभावित हो रहे है। ये भी प्रकरण में आवश्यक पक्षकार है। अतः वादी का वाद defective वाद होने से मेंटनेबल नहीं है और खारिज योग्य है।

प्रतिवादीगण ने अपने जवाब दावा मे कथन किया है कि उन्होने वादी की भूमि पर कोई कब्जा नहीं कर रखा है। वादी अपनी भूमि ख0नं0 231 का राजस्व टीम से सीमाज्ञान करा ले यदि प्रतिवादीगण का कोई कब्जा निकलता भी है तो वे छोडने के लिए तैयार है।

बयान गवाह pw1, pw2 व pw3 के cross- examination के अवलोकन से निम्न दो तथ्य जाहिर होते है– (1) प्रतिवादी क्रम 1 के खाते कोई भी आराजी दर्ज नहीं है बल्कि मुकेश के पिता जगदीश के खाते दर्ज है तथा (2) गावं से वादी के खेत तक जाने के लिऐ प्रचलित रास्ता/आम रास्ता बना है जिसे गावं वाले उपयोग करते है यद्यपि इसके समर्थन में वादी ने कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है।

यहां धारा 188 आर0टी0एक्ट के प्रावधानों का उल्लेख जरूरी है जो निम्नानुसार है– Section 188- **Injunction against wrongful ejectment**: (1) Any tenant whose right to or enjoyment of the whole or a part of his holding is invaded or

threatered to be invaded by his landlord or any other person may bring a suit for the grant of perpetual injunction.

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर एक ओर तो वादी का वाद defective होने से न्यायालय में मेन्टेनेबल नहीं है, वहीं दूसरी तरफ वादी की कृषि आराजी तक जाने का कोई रिकार्डेड रास्ता नहीं है। यदि वादी को ख0नं0 230 या 226 या दोनों से होकर अपने खेत तक कृषि कार्य हेतु कोई नया रास्ता चाहिऐ तो धारा 251 क आर.टी.एक्ट के अधीन सक्षम न्यायालय में प्रार्थना पत्र दायर करें और यदि ख0नं0 230 व 226 से होकर धारा 251 आर.टी.एक्ट में ग्राम पंचायत में प्रार्थना पत्र पेश करें। अतः तनकी नं0 1 वादी के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी नं0 2– इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर था। वादी द्वारा पेश दस्तावेज–प्रदर्श–1, प्रदर्श–2, प्रदर्श–3 व प्रदर्श–4 के आधार पर खनं0 230 के सहारे न तो वादी के खेत तक न तो कोई रिकार्डेड रास्ता है और ना ही रिकोर्डेड चौडी मेड या पाल है जिससे होकर कृषि उपकरणों को लाया ले जाया जाता हो। यदि ख0नं0 230 से होकर कोई पहंच मार्ग बना भी हुआ है तो ख0नं0 230 के सभी सहखातेदारों को पक्षकार बना कर सुना जाना आवश्यक है लेकिन किसी को भी पक्षकार नहीं बनाया गया है। अतः तनकी नं0 2 भी वादी के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी नं0 3, 4 एवं 5– इन तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर था। प्रतिवादीगण द्वारा जवाब दावा पेश कर कथन किया कि हमने वादी की भूमि पर कोई कब्जा नहीं किया हुआ है बल्कि वादी ने हमारी भूमि पर कब्जा कर रखा है। यदि राजस्व विभाग की टीम के सीमाज्ञान के बाद थोडा भी कब्जा निकलता है तो हम छोडने के लिए तैयार है। अपने कथन के समर्थन में प्रतिवादीगण द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है। अतः साक्ष्य के अभाव में तनकी नं0 3, 4 एवं 5 प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित नहीं की जाती है।

तनकी नं0 6– आया कि वादी एवं प्रतिवादीगण के स्वामित्व की भूमि की पेमाईश करा कर भूमि मालिक को कब्जा दिलवाया जावे। इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर था। प्रतिवादीगण द्वारा जवाब दावा पेश कर कथन किया कि हमने वादी की भूमि पर कोई कब्जा नहीं किया हुआ है बल्कि वादी ने हमारी भूमि पर कब्जा कर रखा है। यदि राजस्व विभाग की टीम के सीमाज्ञान के बाद थोडा भी कब्जा निकलता है तो हम छोडने के लिए तैयार है। यद्यपि

प्रतिवादीगण ने अपने कथन के समर्थन में प्रतिवादीगण द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है तथापि विवाद के निस्तारण के लिए ख0नं0 226, 230 एवं 231 की सीमाओं का सीमाज्ञान कराया जाना न्यायोचित होगा । अतः न्यायहित में एवं प्रकरण के निष्पक्ष निस्तारण के लिए तनकी नं0 6 प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

—::क्रियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचन के आधार पर विवादित आराजी ग्राम पाडलिया तहसील अटरू में ख0नं0 231 रकबा 1.95 है0 के संबंध में वादी द्वारा पेश वाद defective होने से न्यायालय में मेन्टेनेबल नहीं है। अतः वादी का वाद **खारिज** किया जाता है। यदि वादी को ख0नं0 230 या 226 या दोनों से होकर अपने खेत तक कृषि कार्य हेतु कोई नया रास्ता चाहिऐ तो धारा 251 'क' आर. टी.एक्ट के अधीन सक्षम न्यायालय में प्रार्थना पत्र दायर करें और यदि कोई प्रचलित रास्ता है तो उसके खुलासे के लिए ग्राम पंचायत के समक्ष धारा 251 आर0टी0एक्ट0 के अधीन प्रार्थना पत्र पेश करें। तहसीलदार अटरू को आदेशित किया जाता है कि वह नियमानुसार ग्राम पाडलिया के ख0नं0 226, 230 व 231 का राजस्व टीम द्वारा दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में सीमाज्ञान करावे। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 24.08.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)

आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)

बइजलास. श्री दिनेश कुमार मीणा (R.A.S.) उपखण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 197/2019

उनवान

1. मोतीलाल पुत्र रामगोपाल जाति मीणा निवासी ग्राम पाडलिया तहसील अटरू जिला बारां (राज०)

वादी

बनाम

1. मुकेश कुमार पुत्र जगदीश आयु 28 वर्ष जाति मीणा निवासी पाडलिया तहसील अटरू जिला बारां राज0।
2. सत्यनारायण पुत्र भैरूलाल आयु 42 वर्ष जाति मीणा निवासी पाडलिया तहसील अटरू जिला बारां राज.।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 188 आर0टी0एक्ट0

उपस्थिति :–

वादी :–विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर।

प्रतिवादीगणः–विद्वान अभिभाषक श्री यशद्युमन सिंह।

मिनजानित मुदई रूबरू .....र.....

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम पाडलिया तहसील अटरू में ख0नं0 231 रकबा 1.95 है0 के संबंध में वादी द्वारा पेश वाद defective होने से न्यायालय में मेन्टेनेबल नहीं है। अतः वादी का वाद **खारिज** किया जाता है। यदि वादी को ख0नं0 230 या 226 या दोनों से होकर अपने खेत तक कृषि कार्य हेतु कोई नया रास्ता चाहिऐ तो धारा 251 'क' आर.टी.एक्ट के अधीन सक्षम न्यायालय में प्रार्थना पत्र दायर करें और यदि कोई प्रचलित रास्ता है तो उसके खुलासे के लिए ग्राम पंचायत के समक्ष धारा 251 आर0टी0एक्ट0 के अधीन प्रार्थना पत्र पेश करें। **तहसीलदार अटरू** को आदेशित किया जाता है कि वह नियमानुसार ग्राम पाडलिया के ख0नं0 226, 230 व 231 का राजस्व टीम द्वारा दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में सीमाज्ञान करावे।

(दिनेश कुमार मीणा)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज .....र..... मुबालिक .....र..... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह .....र.....
फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....र..... अदा करूंगा।
मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 24.08.2022 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)